रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1480] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933

No. 1480] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2011

का.आ. 1773(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (XIV) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं; साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण जो, लगभग 29 हेक्टेयर के क्षेत्र में है, एक छोटा सा स्थान है जो, शीतकालीन प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और उर्वरक कृषि भूमि से घिरा हुआ है ;

और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमाएं** - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवदेनशील जोन छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 29° 56' से 29° 57' उत्तरी अक्षांश और 76° 40' से 76° 42' पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है : गड़ी, सिंघवाली, सिंघपुरा, भैन्सा माज़रा, सरसा, और पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमाओं के भीतर आने वाला अन्य क्षेत्र

(iii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर सभी क्रियाकलाप वन्य अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार शासित किए जाएंगे ।

2. **पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान** --

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के

उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) पारिस्थितीकीय संवेदनशील जोन के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का नवीन संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अनधिक किसी नवीन भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(III) इस संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं से पांच सौ मीटर तक के क्षेत्र में कोई हाइटेंशन वायर नहीं लगाया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

पारिस्थितीकीय संवेदनशील जोन के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक खनन/उत्खनन जैसे क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनिमय बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन समय-समय पर यथा संशोधित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विख्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

I. उप वन पालक (प्रादेशिक), कुरुक्षेत्र, सदस्य-सचिव ;

II. उपायुक्त, कुरुक्षेत्र, का प्रतिनिधि ;

III. प्रभागीय वन्य जीव अधिकारी, पंचकुला ;

IV. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, — सदस्य ;

V.पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए — सदस्य;

VI. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर — सदस्य ;

VII. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार — सदस्य;

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनापत्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति द्वारा कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

2875 GI/11-2

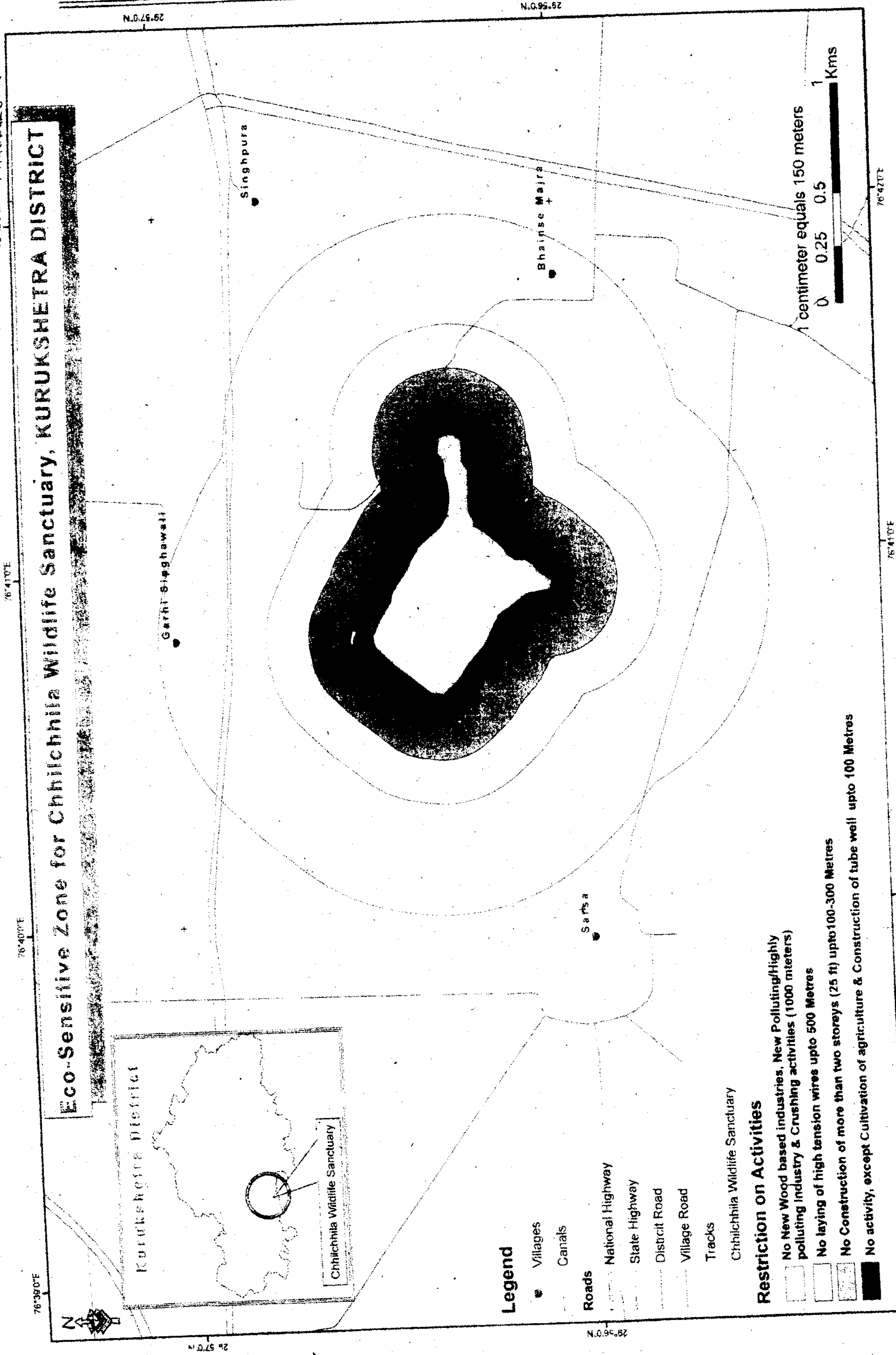
Annexure-A
Eco-Sensitive Zone for Chhilchhila Wildlife Sanctuary, KURUKSHETRA DISTRICT
Kurukshetra District
Chhilchhila Wildlife Sanctuary
Singhpura
Bhainse Majra
Garhi Singhawali
Sarsa
1 centimeter equals 150 meters
0 0.25 0.5 1 Kms
76°39'0"E
76°40'0"E
76°41'0"E
76°42'0"E
29°57'0"N
29°56'0"N
N
Legend
Villages
Canals
Roads
National Highway
State Highway
District Road
Village Road
Tracks
Chhilchhila Wildlife Sanctuary
Restriction on Activities
No New Wood based industries, New Polluting/Highly polluting Industry & Crushing activities (1000 mteters)
No laying of high tension wires upto 500 Metres
No Construction of more than two storeys (25 ft) upto100-300 Metres
No activity, except Cultivation of agriculture & Construction of tube well upto 100 Metres

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2011

S.O. 1773(E).—The following draft of a notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Chhilchhila Wildlife Sanctuary which is about 29 hectares in area, is a wetland, which attracts winter migratory birds and surrounded by fertile agriculture lands;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto one kilometer from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometer from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone), namely:-

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco- Sensitive Zone is the area upto one kilometer from the boundaries of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary situated in the Kurukshetra District of Haryana between 29^0 56' to 29^0 57' North latitude and between 76^0 40' to 76^0 42' East longitude.

(ii) The map of the Eco- sensitive Zone is at **Annexure-A** and the list of the villages, areas of which fall within one kilometer distance of the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary in the Eco-Sensitive Zone are as follows: Garhi Singhawali, Singhpura, Bhainsa Majra, Sarsa and any other area falling within the boundaries of Eco-Sensitive Zone.

(iii) All activities within the in the Eco- sensitive Zone would be in accordance with the provisions of the Indian Forests Act, 1927, Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Forest Conservation Act, 1980 and The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Irrigation, PWD(B&R) and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

(vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone:-

(a) Industrial Units:-

(I) No new wood based industry shall be set up within one kilometer from the boundary of the Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

(II) No new polluting industry shall be allowed within the notified area of Eco-sensitive Zone.

(b) Construction Activities:-

(I) From the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five ft) shall not be allowed.

(III) No laying of high tension wire will be allowed in the area up to 500 meters from the boundaries of this protected area.

(c) Quarrying and Mining:- Activities like commercial mining / quarrying and crushing shall not be allowed within the notified area of Eco-sensitive Zone.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

2875 GI/11—3

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-
(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 as amended from time to time and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee.-

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.
(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Territorial), Kurukshetra as the Member Secretary;
(II) Representative of Deputy Commissioner, Kurukshetra.
(III) Divisional Wildlife Officer, Panchkula.
(IV) A representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
(V) One representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
(VI) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamunanagar; Member
(VII) Senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2006 as amended from time to time.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give its directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions by the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G.V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

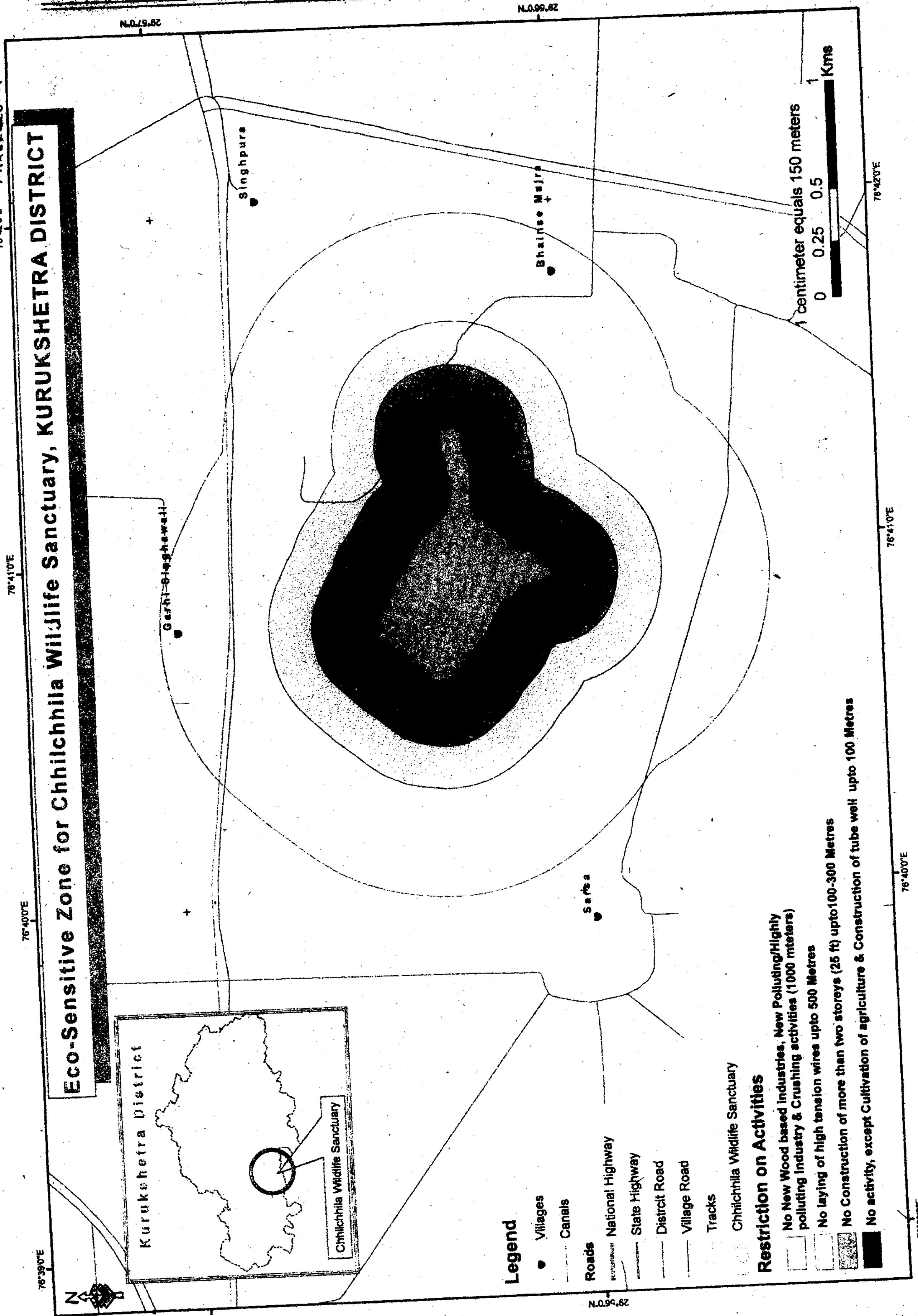

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.